

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 192]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 1972/चैत्र 17, 1894

No. 192]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 1972/CHAITRA 17, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 6th April 1972

S.O. 263(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods mentioned below from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), and the additional duty leviable thereon under section 2A of the second mentioned Act, when imported into India by any person of Indian origin who has hitherto been a permanent resident in Uganda, Kenya, Zambia, Tanzania, Malawi or the Peoples Republic of Southern Yemen and who now wishes to repatriate to India, for permanent settlement:—

- (i) one motor car for each family for their private use if that car was in the use of the repatriate either as owner thereof or as a partner or a director of a partnership concern or company, as the case may be, in Uganda, Kenya, Zambia, Tanzania, Malawi or the Peoples Republic of Southern Yemen, for not less than one year before the date of his arrival in India or as the case may be, one motor cycle/scooter, for each family, if that motor cycle/scooter was in the use of the repatriate, in Uganda, Kenya, Zambia, Tanzania, Malawi or the Peoples Republic of Southern Yemen, for not less than six months before the date of his arrival in India;

- (ii) articles or ornaments, or both, made of gold or silver, the total weight of which does not exceed one hundred and seventy-five grammes for each family;
- (iii) goods to the value not exceeding thirty two thousand rupees consisting of—
 - (1) jewellery which is in personal use or kept for such use by the members of the family;
 - (2) personal and household goods; and
 - (3) goods left unsold subject to the conditions—
 - (A) that the repatriate has been a dealer in such goods, and in the case of the undermentioned goods he has been a dealer in the same goods for at least two years; and
 - (B) that such goods are certified as his genuine stock-in-trade by the Indian High Commission/Ambassador concerned:—
 - (a) Watches,
 - (b) synthetic yarn and metallised yarn.
 - (c) garments made mainly of synthetic fabrics,
 - (d) fabrics, sarees and knitted wear made wholly or mainly of synthetic yarn,
 - (e) alcoholic liquors,
 - (f) cigarettes, cigars, manufactured tobacco, cigarette lighters and flints,
 - (g) fountain pens, ball points pens, and propelling pencils,
 - (h) perfumes, cosmetics, adjustable safety razors and blades,
 - (i) playing cards, battery-operated toys.
 - (j) television sets, transistor radios, transistors and diodes, amplifiers, juke boxes, record changers, tape recorders and tapes and cassettes therefor; any combination of these instruments.
 - (k) electric appliances, namely:—
 - shavers, hair dryers, mixers (blenders), automatic toasters and irons,
 - (l) photographic cameras, flash-guns and colour films therefor,
 - (m) cloves and cinnamon (cassia), not exceeding eight thousand rupees in value.
 - (n) fire arms;
- (iv) machinery and capital equipment including commercial vehicle which has been in the use of the repatriates and does not exceed sixteen thousand rupees in value:

Provided that.—

- (a) the passport of the repatriate is endorsed by the Indian High Commission/Ambassador concerned to the effect that he is a bonafide repatriate;
- (b) the goods were in the possession of the repatriate before his departure for India; and
- (c) the goods are shipped by sea within one month or despatched by air within a fortnight of the arrival of the repatriate or within such extended period as the Collector of Customs may, in any particular case, allow.

Explanation.—In this notification, “family” means a repatriate’s wife or husband, children, parents, sisters and brothers, residing with and wholly dependent upon the said repatriate.

2. This notification shall remain in force up to and inclusive of the 31st December, 1972.

[No. 52-cus/F. No. 555/99/71 L.C.I.]

M. G. ABROL, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1972

का० आ० 263(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, नीचे वर्णित माल को, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमा शुल्क से और द्वितीय वर्णित अधिनियम की धारा 2-क के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमा शुल्क से, अर्थात् उस माल का भारतीय मूल के किसी व्यक्ति द्वारा, जो अभी तक युगांडा, केन्या, जाम्बिया, तनजानिया, मलावी या पीपुल्स रिपब्लिक आफ सदर्न यमन का स्थायी निवासी रहा है और अब भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए स्वदेश में वापस आना चाहता है, भारत में आयात किया गया हो, एतद्द्वारा छूट देती है—

- (i) प्रत्येक कुटुम्ब के लिए उनके निजी प्रयोग के लिए एक मोटर कार यदि वह मोटर कार संप्रत्यावर्तित व्यक्ति (रिपेट्रिएट) के भारत में पहुंचने की तारीख से पूर्व कम से कम एक वर्ष तक युगांडा, केन्या, जाम्बिया, तनजानिया, मलावी या पीपुल्स रिपब्लिक आफ सदर्न यमन में यथास्थिति, मोटर कार के स्वामी के रूप में या किसी भागीदारी सम्मुत्थान या कम्पनी के भागीदार या निदेशक के रूप में प्रयोग में रही हो, या यथास्थिति प्रत्येक कुटुम्ब के लिए, एक मोटर साईकिल/स्कूटर यदि वह मोटर साईकिल/स्कूटर संप्रत्यावर्तित व्यक्ति (रिपेट्रिएट) के भारत में पहुंचने की तारीख से पूर्व कम से कम छः मास तक युगांडा, केन्या, जाम्बिया, तनजानिया, मलावी या पीपुल्स रिपब्लिक आफ सदर्न यमन में प्रयोग में रहा हो।
- (ii) प्रत्येक कुटुम्ब के लिए सोने से बनी वस्तुएं या आभूषण या दोनों, या स्वर्ण, जिनकी कुल तोल एक सौ पचहत्तर ग्राम से अधिक न हो,
- (iii) बत्तीस हजार रुपये से अनधिक मूल्य का माल जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है:—
 - (1) आभूषण जो उस कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत प्रयोग में लाए जाते हैं या ऐसे प्रयोग के लिए रखे हुए हैं;
 - (2) व्यक्तिगत या घरेलू सामान; और
 - (3) बिना बिका माल, जो इन शर्तों के अधीन होगा कि—
 - (अ) सम्प्रत्यावर्तित व्यक्ति उन वस्तुओं का व्यवहारी रहा है, और नीचे वर्णित माल की दशा में वह कम से कम दो वर्ष उस माल का व्यवहारी रहा है, और
 - (आ) सम्बद्ध भारतीय उच्चायोग/राजदूत यह प्रमाणित करे कि ऐसा माल उसका वास्तविक व्यापार स्टाक है:—
 - (क) षड़ियां,
 - (ख) सिन्थेटिक धागा और धात्विकीकृत धागा,
 - (ग) मुख्यतः सिन्थेटिक कपड़ों से बने परिधान,

- (घ) सिन्थेटिक धागे से पूर्णतः या मुख्यतः विनिर्मित कपड़े, साड़ियाँ और बुने हुए कपड़े,
- (ङ) अलकोहलिक लिक्वर,
- (च) सिगरेट, सिगार, विनिर्मित तम्बाकू, सिगरेट लाइटर और फिल्टर,
- (छ) फाउन्टेन पेन, बाल पोइन्ट पेन और प्रोपेलिंग पेंसिलें,
- (ज) इत्र-सेट, अंगराग, समंजनीय सेपटी रेजर और ब्लेड,
- (झ) ताण, बैटरी से चलने वाले खिलौने,
- (व) टेलीवीजन सेट, ट्रांजिस्टर रेडियो, ट्रांजिस्टर और डायोड, एम्प्ली फायर, जूक बॉक्स, रिकार्ड चेंजर, टेप रिकार्डर और टेप और उनके केसट; इन उपकरणों का कोई भी समुच्चय,
- (ट) विद्युत साधन, अर्थात्:—दाड़ी बनाने, बाल सुखाने, मिश्रण तैयार करने और द्रव बनाने के यंत्र (ब्लेंडर) स्वचालित टोमटर और इस्त्रियाँ,
- (ठ) फोटोग्राफिक कैमरे, प्लेग गर्ने और उनकी रंगीन फिल्में,
- (ड) लॉग और दालचीनी (केसिया), जिसका मूल्य आठ हजार रुपये से अधिक न हो,
- (ढ) अन्यायुध,
- (iv) मशीनरी और पूंजीगत उपस्कर जिसके अन्तर्गत वाणिज्यिक थान भी हैं जो सम्प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के प्रयोग में रहे हों और सोलह हजार से अधिक मूल्य के न हों:

परन्तु यह तब जब कि :—

- (क) सम्प्रत्यावर्तित व्यक्ति के पारपत्र में सम्बद्ध भारतीय उच्चायोग/राजदूत ने इस आशय का पृष्ठांकन किया हो कि वह वास्तविक सम्प्रत्यावर्तित व्यक्ति है;
- (ख) भारत को प्रस्थान करने से पूर्व माल सम्प्रत्यावर्तित व्यक्ति के कब्जे में था, तथा
- (ग) माल, सम्प्रत्यावर्तित व्यक्ति के पहुंचने के एक मास के भीतर समुद्र मार्ग द्वारा या एक पक्ष के भीतर वायु मार्ग द्वारा या बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जिसे सीमा-शुल्क कलक्टर किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, समुद्री मार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा भेज दिया गया हो।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना में “कुटुम्ब” शब्द से अभिप्रेत है सम्प्रत्यावर्तित व्यक्ति की पत्नी या उसका पति, उसके बच्चे, माता-पिता, बहनें और भाई जो उक्त सम्प्रत्यावर्तित व्यक्ति के साथ निवास कर रहे हों और उस पर पूर्णतः आश्रित हों।

2. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1972 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं० 52/फा० सं० 555/99/71-एल०सी० I]

मदनगोपाल अब्रोल, संयुक्त सचिव।